


9.12.2021

पत्रावली प्रशासन गाँव के सँग कमिशन  
 2021 कैम्प- नयावडा में शरीर आई।  
 प्रार्थी स्वयं उपस्थित। कृपार्थी सं  
 । की कोर्ट से जवाब पेश ही चुका  
 है, जो शाणिको रहे। उपस्थित पत्रकारों  
 को सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत  
 ग्रां पत्र के संक्षेप में तथ्य इस  
 प्रकार हैं कि राजसव ग्राम नयावडा  
 में खण्ड नं० 282 रकबा 0.9400 है  
 व खण्ड नं० 289 रकबा 0.9900 है  
 तथा ग्राम पालिका में खण्ड नं० 796  
 रकबा 2.9900 है व खण्ड नं० 816  
 रकबा 1.1300 है। भूमि प्रार्थी व  
 कृपार्थी सं० 2 व 3 की पुश्तैनी अंतरा-  
 धिकार में प्राप्त पुश्तैनी भूमि कार्ड  
 हुई है। गाँव, समाज, परिवार में प्रार्थी  
 को भाद व्याट से शारीरिक रूप से  
 दुखसा पतला होने के कारण मझाराम  
 के नाम से पुकारते थे। लेकिन वास्तविक  
 नाम - चैनाराम है। ग्राम पालिका में  
 खण्ड नं० 796, 816 में चैनाराम दर्ज  
 है, परन्तु ग्राम नयावडा में खण्ड नं० 282,  
 289 की पालिका में मझाराम दर्ज है।  
 समस्त कोच दस्तावेजों में प्रार्थी का  
 नाम चैनाराम है। ग्राम नयावडा की  
 भूमि में मझाराम के ध्यान पर चैनाराम  
 दर्ज विमां जाना आवश्यक है। इससे  
 किसी के अधिकार उजाड़ नहीं लगे।

LTI  
चैनाराम



*[Signature]*  
 सहायक कमिश्नर  
 एवं पंचायत उपायुक्त (प्रशासन)  
 इलाहाबाद (मि०)

अनुदान मुकदमा  
तारीख हुक्म

हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज


नम्बर व तारी  
अहकम जो की

नुवान  
ता

किस: पार्थी का डांपत्र स्वीकार किया जाकर राजसव ग्राम नयावस में स्थित भूकिस 2900-282, 289 से खसैडापे में दर्ज मंगराम पुत्र सुखाराम के स्थान पर चैनाराम पुत्र सुखाराम दर्ज किया जाकर (रेकॉर्ड बुक) के क्रिषि प्रदान कराके।

पार्थी का डांपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर कृषि कार्य को वसि अवाकिले जरिये कोरिस तलक किया गया। सह-खसैडापे कृषि पार्थी खं. 29 3, जो पार्थी का भाई व भाग है, ने इकबाली अवाकिले पेश कर मंगराम व चैनाराम दोनों एक ही व्यक्ति चैनाराम किया है तथा डांपत्र स्वीकार कर ग्राम नयावस की भूकिस में मंगराम के स्थान पर चैनाराम दर्ज किये जाने पर किराफतिली की है कृषि खं. 1 में अवाकिले पेश कर डांपत्र स्वीकार किया जाना उन्चिर बताया है तथा कोई किराफतिले उल्लूह नहीं की है।

शिपित नयावस में उपस्थित पक्षों को सुना गया। भजमेडाम में जानकारी ली गई एवं पत्रावली का किलीवन किया गया। पार्थी द्वारा उल्लूह नबल अभाबदी के किलेला से यह स्पष्ट है कि ग्राम नयावस के खं. 282, 289 से खसैडापे में मंगराम पुत्र सुखाराम दर्ज है। साथ ही उल्लूह ग्राम पारियास के खं. 796, 816 से खसैडापे में चैनाराम पुत्र सुखाराम दर्ज है जो फौजगी नम्बर 731 से दर्ज है। पार्थी द्वारा उल्लूह किलेला में चैनाराम पुत्र सुखाराम दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत नयावस

  
सहायक जज  
इलाहाबाद

तारीख हुकम	हुकमा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील
	<p>ने यह प्रमाण-पत्र जारी किया है कि चैनाराम पुत्र सुखाराम जाट व मन्नाराम पुत्र सुखाराम जाट निम्न धाराओं के अन्तर्गत एक ही व्यक्ति हैं किन्तु कसूर व्यक्ति नहीं हैं। किन्तु सै. 2 व 3 में मन्नाराम व चैनाराम दोनो एक ही व्यक्ति होना मानकर मन्नाराम के स्थान पर चैनाराम विवे जानि पर किनापत्रि जाहित की है। भूमिवादी किन्तु सै. 2 व 3 में मन्नाराम के स्थान पर चैनाराम विवा जाना उचित बताया है किन्तु सै. 2, 3 के इतरासी जवाब किन्तु सै. 1 के जवाब ग्राम पंचायत नयापडा के प्रमाण-पत्र से प्रस्तुत इलाके के कक्षाट पर प्रार्थी का प्राप्पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।</p> <p>किन्तु प्रार्थी का प्राप्पत्र स्वीकार विवा जाफट राजस्व ग्राम नयापडा के खण्ड 202, 209 में हर्ष मन्नाराम पुत्र सुखाराम के स्थान पर चैनाराम पुत्र सुखाराम हर्ष विवे जानि के किन्तु प्रदान विवे जानि ही इसी किन्तु सै. 2 व 3 में किन्तु इलाके विवा जाफट सै. 2, 3 के विवा जानि खाते की शेष प्रविधियां पूर्व पत्र के पत्रावली फिलस मुकत होकर दायित्व इफ्त हो। किन्तु किन्तु डिमांड 9, 12, 24 को वै. म. नयापडा में भजमे काम में सुकाया गया।</p>	

संलग्नक कलक्टर  
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
डेमाना ( नाम )